कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून–248195

फोन–(0135)-2970866, 2970867,फैक्स–(0135)-2970859, 2970865

Email : agaeuttarakhand@cag.gov.in,Website : www.agua.cag.gov.in

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सं0: 28/ प्रशा0-II/ए.जी.यू.के.(ले0एवंहक0)/चल एवं अचल सम्पत्ति क्रय अनुमति/2020–21/22

दिनांक: 08.07.2020

कार्यालय आदेश

विगत कतिपय प्रकरणों में यह संज्ञान में आया है कि इस कार्यालय के खण्डीय लेखाकार संवर्ग से सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली–1964 के नियम 18 (2) एवं (3) के अन्तर्गत अचल एवं चल सम्पत्ति क्रय के लिए इस कार्यालय में अनुमति हेतु अनुरोध किया जा रहा है जिसमें कार्मिकों द्वारा सम्पत्ति क्रय करने हेतु बैंकों से लिये गये ऋण (गृह एवं व्यक्तिगत), रिश्तेदारों से लिया गया उधार धनराशि अथवा उपहार दी गयी धनराशि, कार्मिकों के बैंक खातो मे जमा धनराशि आदि धन का स्त्रोत दर्शाया जा रहा है, परन्तु सम्बन्धित कार्मिको द्वारा सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली–1964 के नियम 16 (4) के अन्तर्गत बैंकों में ऋण लेने से पूर्व इस कार्यालय से अनुमति नही ली जा रही है और न ही सम्पत्ति क्रय हेतु रिश्तेदारों से ली गयी उधार धनराशि अथवा उपहार में ली गयी धनराशि, कार्मिको के बैंक खातो मे जमा धनराशि आदि धन का पूर्ण विवरण जिसमें रिश्तेदार का नाम, पता, बैंक के जिस खाते से धनराशि दी गयी (नकद अथवा स्थानान्तरण) का पूर्ण विवरण, अपने अथवा अपने परिवार के सदस्य के बैंक खाते में जमा धनराशि का पूर्ण विवरण सम्बन्धित कार्मिको द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित नही किया जा रहा है, जिसको सक्षम प्राधिकारी द्वारा गम्भीरता से लिया है।

अतः इस कार्यालय के खण्डीय लेखाकार संवर्ग से सम्बन्धित सभी कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि अचल एवं चल सम्पत्ति क्रय से पूर्व यदि बैंक में ऋण के लिए आवेदन करते हैं तो, उससे पूर्व इस कार्यालय से अनुमति लेना सुनिश्चित करे एवं सम्पत्ति क्रय हेतु धन का स्त्रोत का पूर्ण विवरण इस कार्यालय में प्रेषित करे जिससे की उनकी अचल एवं चल सम्पत्ति के ब्योरों को कार्यालय मे व्यवस्थित रूप से रखा जा सके, अन्यथा अचल एवं चल सम्पत्ति के अर्जन में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा नियमों के उल्लघंन के लिए स्वयं कार्मिक जिम्मेदार होगा व सम्बन्धित कार्मिको के विरूद्व केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमावली–1964 में निहित सुसगंत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

8/7/20

उपमहालेखाकार/प्रशासन

पृष्ठांकित सं0: प्रशा0-II/ए.जी.यू.के.(ले0एवंहक0)/चल एवं अचल सम्पत्ति क्रय अनुमति/2020–21/ दिनांक 08.07.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः– 163-166

1. सचिव महालेखाकार कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हक0), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. उपमहालेखाकार (प्रशासन), कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हक0), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. डाटा मेनेजर, कार्यालय महालेखाकार(लेखा एवं हक0), उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि इस आदेश को इस कार्यालय की वेबसाइट के डीए कोर्नर पर अपलोड कराने का कष्ट करे।
4. इस कार्यालय के खण्डीय लेखाकार संवर्ग से सम्बन्धित कार्मिकों को इस कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से।

9/7/20

वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रशासन–II